संख्या-19/2019/1644/96-आयुष-1-2019-57/2017टी0सी0

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1

लखनऊ; दिनांक 28 मार्च, 2019

विषय- अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2017 के अवसर पर लखनऊ में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में विभिन्न विभागों/ संस्थाओं द्वारा सम्पादित कार्यों से संबंधित व्यय हुई धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3681/96-आयुष-1-2018-355/2018; दिनांक 11.10.2018, संख्या-2538/96-आयुष-1-2017-57/2017टी0सी0-3; दिनांक 31.07.2018 एवं संख्या-1196/96-आयुष-1-2017-57/2017टी0सी0-3; दिनांक 27.03.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुपूरक मांग के माध्यम से अनुदान संख्या-33 में प्राविधानित धनराशि रू0-800.00 लाख (धनराशि रूपये आठ करोड मात्र) में से विभागों/संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये गये वास्तविक व्यय के सापेक्ष बकाया धनराशि का निम्नवत् भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है-

क्र0सं0	विभाग/संस्था का नाम	भुगतान की जाने वाली धनराशि (रूपये में)
1	2	3
1	सूचना विभाग	2,26,76,506.00
2	सीमा रेस्टोरेन्ट एवं कैटर्स	98,774.00

2- अतएव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2017 के अवसर पर लखनऊ में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में प्रस्तर-2 की तालिका में उल्लिखित विभाग/ संस्था द्वारा व्यय की गयी धनराशि का नियमानुसार भुगतान कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

अशोक कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-19/2019/1644(1)/96-आयुष-1-19, तद्दिनांक

प्रतिलिपि मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाईटी लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

अशोक कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in